

प्रेस नोट

दिनांक 01.11.2022

सराहनीय कार्य थाना शिवरतनगंज

01 अदद तमंचा, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 12 बोर, 100 ग्राम स्मैक, चोरी की 02 अदद बैट्री व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल के साथ 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व ***“नशा मुक्त अमेठी अभियान”*** के तहत दिनांक 01.11.2022 को उ0नि0 विनोद वर्मा थाना शिवरतनगंज मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 250/22 धारा 379,411,413,414 भादवि में वांछित एक मोटरसाइकिल पर सवार 02 अभियुक्तों 1.रामू उर्फ शंकरशरण पुत्र रामफेर नि0 सेमरौता थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 35 वर्ष व 2.विजय कुमार सिंह उर्फ बिज्जी पुत्र स्व0 शिवशंकर सिंह नि0 राजापुर मजरे सीवन थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली को चोरी की 02 अदद बैट्री के साथ नईया के पुल के पास से समय करीब 09:00 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया । मोटरसाइकिल के कागजात मांगने पर दिखा न सके । अभियुक्त रामू उर्फ शंकरशरण के कब्जे से 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुई तथा अभियुक्त विजय कुमार सिंह उर्फ बिज्जी के कब्जे से 100 ग्राम स्मैक, 01 तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुई । थाना शिवरतनगंज द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह मोटर साइकिल रामू उर्फ शंकरशरण की है । दिनांक 29.10.2022 की रात को इसी मोटरसाइकिल से जाकर हम दोनों ने कुकहापुर में दुकानों के पास खड़े ट्रैक्टर से दो बैट्री खोल लिये थे जिन्हें आज बेचने के लिये ले जा रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. रामू उर्फ शंकरशरण पुत्र रामफेर नि0 सेमरौता थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 35 वर्ष ।
2. विजय कुमार सिंह उर्फ बिज्जी पुत्र स्व0 शिवशंकर सिंह नि0 राजापुर मजरे सीवन थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली ।

बरामदगी-

- चोरी की 02 अदद बैट्री, 01 तमंचा, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 12 बोर, 100 ग्राम स्मैक ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 250/22 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
- मु0अ0सं0 252/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
- मु0अ0सं0 253/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
- मु0अ0सं0 254/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
- मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स सं0 यूपी 33 एवी 9825 (207 एमवी एक्ट) ।

अभियुक्त विजय कुमार सिंह उर्फ बिज्जी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 524/14 धारा 379,411 भादवि थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली ।
2. मु0अ0सं0 222/15 धारा 379,411 भादवि थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली ।
3. मु0अ0सं0 625/13 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली ।
4. मु0अ0सं0 234/19 धारा 379,411 भादवि थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली ।
5. मु0अ0सं0 293/19 धारा 380,457,411 भादवि थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली ।
6. मु0अ0सं0 311/19 धारा 380,411,454 भादवि थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली ।
7. मु0अ0सं0 328/19 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली ।
8. मु0अ0सं0 82/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली ।
9. मु0अ0सं0 172/19 धारा 392 भादवि थाना हरचन्दपुर जनपद रायबरेली ।
10. मु0अ0सं0 270/15 धारा 356,379 भादवि थाना बाराबंकी सिटी जनपद बाराबंकी ।
11. मु0अ0सं0 02/16 धारा 392 भादवि थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विनोद वर्मा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
2. हे0का0 राजेश यादव थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
3. का0 अखिलेश यादव थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
4. कां0 राम भजन यादव थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।
5. कां0 सौरभ कुमार वर्मा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।